

20/6/2015

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, कोटा, जिला कोटा  
पीठासीन अधिकारी: श्री वासुदेव मालावत, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 50/2015 (अपील)

उनवान

धन्नालाल पुत्र सुखलाल जाति गूजर निवासी ग्राम दौराणी तहसील  
सांगोद जिला कोटा

(अपीलाण्ट)

बनाम

राजस्थान राज्य जयें तहसीलदार सांगोद, जिला कोटा

(रेस्पोडेण्ट)

उपस्थित :- 1. श्री सत्येन्द्र कुमार गुप्ता (अभिभाषक अपीलाण्ट)

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

बनाराजगी आदेश दिनांक 15.10.2015 मि0नं0 224/2015

न्यायालय तहसीलदार, सांगोद, जिला कोटा

निर्णय दिनांक : 30.07.2019

1. अपीलाण्ट द्वारा यह अपील राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत संक्षेप में इस आशय के साथ प्रस्तुत की है कि योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन आदेश विधि, न्याय एवं संचिका में सिद्धि प्राप्त तथ्यों के सर्वथा विपरीत होने से निरस्त होने योग्य है।
2. अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेण्ट की तलबी की गई।
3. उपस्थित विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।
4. अपीलाण्ट की ओर से उपस्थित विद्वान अभिभाषक का अपील बहस में कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट को समुचित सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर प्रदान किये एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का गुणावगुण पर अवलोकन किये बिना ही आदेश जैर अपील पारित कर दिया जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त होने योग्य है। योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट को धारा 91 भू-राजस्व अधिनियम का नोटिस प्रोपर तामील हुये बिना ही एवं कब्जा होना स्वीकार होना मान लिया, जबकि अपीलाण्ट न तो अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित ही हुआ और न कभी कब्जा होना ही स्वीकार किया। योग्य अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण बाबत साक्ष्य नहीं होने पर भी अधीनस्थ न्यायालय ने ग्राम दौरानी स्थित आराजी खसरा नम्बर 11 रकबा 3.00 हैक्टर भूमि पर केवल मात्र पटवारी हल्का के बयान के आधार पर सिविल कारावास व अर्थदण्ड से दण्डित करने का आदेश प्रदान कर दिया जो त्रुटिपूर्ण एवं अवैधानिक है। अपीलाण्ट ने विवादित आराजी पर से अपना कब्जा छोड़ दिया है, और तावान की राशि जमा करवा दी है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त फरमाया जावे।




5. उपस्थित विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट की बहस सुनी जाकर पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलान्ट अप्रार्थी का बहस अपील में कथन है कि "अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को समुचित सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर प्रदान किये एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का गुणावगुण पर अवलोकन किये बिना ही आदेश जैर अपील पारित कर दिया, जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त होने योग्य है। योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को धारा 91 भू-राजस्व अधिनियम का नोटिस प्रोपर तामील हुये बिना ही एवं कब्जा होना स्वीकार होना मान लिया, जबकि अपीलान्ट न तो अधीनस्थ न्यायालय में उपथित ही हुआ और न कभी कब्जा होना ही स्वीकार किया। योग्य अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण बाबत साक्ष्य नहीं होने पर भी अधीनस्थ न्यायालय ने ग्राम दौरानी स्थित आराजी खसरा नम्बर 11 रकबा 3.00 हैक्टर भूमि पर केवल मात्र पटवारी हल्का के बयान के आधार पर सिविल कारावास व अर्थदण्ड से दण्डित करने का आदेश प्रदान कर दिया जो त्रुटिपूर्ण एवं अवैधानिक है। अपीलान्ट ने विवादित आराजी पर से अपना कब्जा छोड़ दिया है, और तावान की राशि जमा करवा दी है।" अतः अपीलान्ट के उक्त कथन एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय जैर अपील तथा पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

6. अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपीलान्ट अप्रार्थी को वाके ग्राम दौरानी स्थित आराजी खसरा नम्बर 11 रकबा 3.00 हैक्टर पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण करने के आरोप में दिये गये सिविल कारावास की सजा के आदेश को दो माह के लिये इस शर्त के साथ स्थगित किया जाता है कि इस निर्णय की दिनांक से एक माह के अन्दर अपीलान्ट अप्रार्थी स्वयं अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर इस बाबत शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा कि उसके द्वारा उपरोक्त अतिक्रमित आराजी से वास्तविक रूप से मोके से कब्जा हटा लिया गया है, एवं भविष्य में पुनः अतिक्रमण नहीं करेगा। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन दिशा निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह अपीलान्ट अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त शपथ पत्र की मौके पर से वास्तविक रूप से कब्जा हटा लेने की पुष्टि सम्बन्धित भू-अभिलेख निरीक्षक से करावें। अपीलान्ट अप्रार्थी का उपरोक्त अतिक्रमित आराजी पर से मोके पर से वास्तविक रूप से कब्जा हटा लेने बाबत प्रस्तुत उक्त शपथ पत्र सम्बन्धित भू-अभिलेख निरीक्षक से पुष्टि में सही प्रमाणित पाये जाने पर निर्णय जैर अपील से अपीलान्ट अप्रार्थी को दी गई सजा निरस्त होगी, अन्यथा अपीलान्ट अप्रार्थी को उक्त शर्त के उल्लंघन पर इस निर्णय की दिनांक से दो माह के लिये स्थगित की गई सिविल कारावास की सजा का आदेश पुनः प्रभावी होगा। अधीनस्थ न्यायालय पत्रावली में आदेशिका लिखते हुये विधि के अनुरूप नियमानुसार आगामी कार्यवाही अमल में लावें। अधीनस्थ न्यायालय का शेष आदेश यथावत रहेगा।

7. पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर की जावे।

8. निर्णय आज दिनांक 30.07.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

मुद्रा

  
(वासुदेव मालावत)  
अतिरिक्त जिला कलेक्टर  
कोटा, जिला कोटा